27/5/25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
बहस अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी
गई। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी
प्रतापाराम की ओर से न्यायालय में
दावा चल रहा था जो प्रार्थी के
वकील को तारीख पेशी पर माननीय
न्यायालय में बीमार होने से हाजिर
नहीं होने से वाद अदम हाजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	अदम पैरवी में खारीज की जा चुकी है। अत: दावा को रेस्टोर करवाने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण की पैरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार उक्त वाद में नियुक्त अधिवक्ता बीमार होने से न्यायालय मे हाजिर नहीं हो सका। अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होना केवल इस आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित रखना उचित नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना O 9 R 4 CPC स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली प्रतापाराम बनाम अर्जुनराम वगैरह मु.सं. 94/2024 को पुन: नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते है। मूल पत्रावली दिनांक 01.07.25 को पेश हो। उभय पक्षकार निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] नंबर से कम होकर [illegible] हो।

[illegible]

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner